उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-3
सख्या 128/2025/279// तीस-3-2025 (ई-1744147)
लखनऊः दिनांकः 04 नवम्बर, 2025

कार्यालय ज्ञाप

शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-126/2025/2426/तीस-3-2025, दिनांक 13 नवम्बर, 2025 द्वारा लोक सेवा आयोग, उ०प्र० प्रयागराज के पत्र संख्या-48/(1)72/पी०/एस-26-2025/(09)1, दिनांक 04.10.2025 के माध्यम से की गई संस्तुति के आधार पर परिवहन आयुक्त संगठन के अंतर्गत कार्यरत श्री बिनय कुमार सिंह, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) प्रतापगढ़ एवं श्री सत्येन्द्र प्रकाश सिंह, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) मीरजापुर को दिनांक 31.12.2008 से इनकी सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के पद पर वास्तविक पदोन्नति की तिथि क्रमश 21.11.2012 तथा 18.04.2013 तक सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (वेतन बैण्ड-3, वेतनमान रू0 15,600-39,100/- ग्रेड वेतन रू० 5400/-) के पद पर नोशनल प्रोन्नति प्रदान की गयी है।

2- उल्लेखनीय है कि श्री बिनय कुमार सिंह, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी व श्री सत्येन्द्र प्रकाश सिंह, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी द्वारा शासन के समक्ष प्रत्यावेदन दिनांक 29.09.2022 प्रस्तुत किया गया जिसमें मुख्यत निम्नांकित अनुरोध किया गया :-

"प्रार्थीगण द्वारा परिवहन विभाग में लोक सेवा आयोग, उ०प्र० द्वारा चयनित होकर सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक) के पद पर क्रमशः 08-05-2002 एवं 18-09-2001 को अपना पदभार ग्रहण किया गया था। वर्ष 2008-09 में सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी पद पदोन्नति किये जाने हेतु शासन द्वारा लोक सेवा आयोग अधियाचन भेजा गया था। ज्येष्ठता सूची में उनका ज्येष्ठता क्रमांक 61, 62 पर रहने के बावजूद भी उनसे नीचे के ज्येष्ठता क्रमांक 65, 67, 68, 71, 72, 73 वाले आर०आई० (टी) के पदधारकों को सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी के पद पर पदोन्नत कर दिया गया क्योंकि क्रमांक 65 से 73 तक के सभी आर ०आई० (टी) संवर्ग के हैं और तत्समय उसका आधार पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था का लागू होना था। ए०आर०टी०ओ० पद पर पदोन्नति हेतु दो मूल कैडर अर्थात आर०आई० (टी) एवं पी०टी०ओ० पद से पदोन्नति की जाती है, जिससे One By One पदोन्नत कोटे के रिक्त पद भरे जाते हैं। मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका सिविल अपील सं0-2608/2011 पर पारित आदेश दिनाक 27.04 2012 द्वारा पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त किए जाने के पश्चात् शासन के कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश दिनाक 08-05-2012 द्वारा सभी विभागों को आदेश जारी किया गया कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 27-04-2012 को पारित आदेश के क्रम में 15-11-1997 से 28-04-2012 के बीच आरक्षण का लाभ देकर पदोन्नत किये गये कार्मिकों को उनके यथोचित क्रम में पदावनत करते हुए उनके स्थान पर यथासमय सामान्य श्रेणी के कार्मिकों की पदोन्नति करते हुए संशोधित ज्येष्ठता सूची जारी की जाए तथा पूर्व में जारी सभी ज्येष्ठता सूची को अमान्य निरस्त कर दिया जाये।

उक्त अनुपालन में परिवहन विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 27-01-2016 द्वारा आरक्षणका लाभ प्राप्त कर पदोन्नत किये गये अधिकारीगण श्रीं सतीश कुमार (अनुसूचित जाति) श्री आनन्द निर्मल (अनुसूचित जाति), श्री उदय राम (अनुसूचित जाति), श्री अशोक कुमार (अनुसूचित जाति), श्री मुंशीलाल (अनुसूचित जाति), श्री

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

राजेश कर्दम (अनुसूचित जाति) को पदावनत करते हुए पूर्व में शासन के आदेश दिनांक 05-06-2014 द्वारा जारी ज्येष्ठता सूची में उपरोक्त अनुसूचित जाति के पदोन्नत ज्येष्ठता क्रमांक क्रमशः 196, 197, 198, 199, 200 से हटाकर ज्येष्ठता सूची को संशोधित करते हुए इनकी ज्येष्ठता को क्रमशः 231ए, 232ए, 233. 235ए 235बी, 235सी पर कर दिया गया तथा ज्येष्ठता सूची के क्रमांक 195 से 200 तक अभी तक रिक्त रखा गया है। संशोधित ज्येठता सूची में अनुसूचित जाति संवर्ग के होने के कारण आरक्षण की व्यवस्था का लाभ पाकर सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक) के पद से सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी के पद पर पदोन्नत किये गये अधिकारीगण को पदावनत किया गया, किन्तु उक्त चयन वर्ष 2007-2008 एवं 2008-09 में पात्र सामान्य श्रेणी (प्रार्थीगण) के अभ्यर्थियों की पदोन्नति चयन वर्ष 2007-2008 एवं 2008-09 के सापेक्ष नहीं की गयी। शासन द्वारा चयन वर्ष 2008-09 में तैनात सीर्थी भर्ती तथा पी०टी०ओ० सवर्ग के कार्मिकों की ज्येष्ठता क्रमांक 180 से 189 तक शासन के पत्र दिनाक 23.04.2020 द्वारा निर्धारित की गयी। उक्त ज्येष्ठता निर्धारण में सम्भागीय निरीक्षक सवर्ग (प्रार्थीगण) के कार्मिकों को सम्मिलित नहीं किया गया। वर्तमान में प्रार्थीगण की ज्येष्ठता क्रमाक 227 एवं 229 अर्थात 37 कार्मिकों के नीचे प्रख्यापित है। अतः चयन वर्ष 2007-2008 एवं 2008-09 के सापेक्ष अभ्यर्थिों की पदोन्नति सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी के पद पर करते हुए शासन के पत्र दिनोंक 23.04.2020 द्वारा जारी ज्येष्ठता सूची में उ०प्र० सरकारी सेवक, ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार आशिक संशोधन करते हुए ज् येष्ठता निर्धारित किये जाने का अनुरोध किया गया।

3- उक्त प्रत्यावेदन के निस्तारण हेतु श्री बिनय कुमार सिंह व सत्येन्द्र प्रकाश सिंह, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारीगण द्वारा मा० उच्च न्यायालय में रिट याचिका सख्या-16767/2023 बिनय कुमार सिंह बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य योजित की गयी जिस पर सुनवाई करते हुए मा० न्यायालय द्वारा दिनाक 12 10.2023 को सक्षम प्राधिकारी को याचीगण के प्रत्यावेदन दिनाक 29.09.2022 को नियमानुसार 02 माह में निस्तारित किये जाने के आदेश पारित किये गये।

4- मा० न्यायालय के आदेश के समादर में शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 21.11.2023 द्वारा श्री बिनय कुमार सिंह व अन्य के प्रत्यावेदन दिनांक 29.09.2022 एवं तत्सम्बन्धी अन्य प्रत्यावेदन दिनांकित 13.10.2023, 20.10.2023 एवं 26.10.2023 को सम्यक विचारोपरांत निरस्त कर निस्तारित किया गया।

5- शासन के उपरोक्त निस्तारण आदेश दिनांक 21-11-2023 के विरुद्ध पुनः याचीगण द्वारा मा० उच्च न्यायालय में रिट याचिका सं0 21727/2023 बिनय कुमार सिंह व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य योजित की गयी, जिसमें पारित आदेश दिनाक 25.04.2025/सपठित त्रुटि निवारित आदेश दिनांक 05-05-2025 के प्रभावी अंश निम्नवत है-

".....20 From perusal of the aforesaid reply, clarification of Transport Commissioner is also in favour of petitioners and three otherpersons with specific averment that in seniority list at serial no. 196 to 200 is still vacant and further after granting notional seniority, seniority of none other personnel shall be affected.

21. I have perused the counter affidavit as well as impugned order. There is no denial or dispute about the facts so mentioned in three members committee report as well as clarification of Transport Commissioner. The only reason is given that in terms of Government Order dated 21.8.2015, petitioners are not entitled for any additional emoluments or special pay, therefore, notional seniority for selection year 2007-08 & 2008-09 cannot be granted.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

22 Further, this is not the first time claim of notional seniority has been raised by the officer of the department. Vide letter dated 21.1.2025, Principal Secretary, Govt. of U.P. has written letter to Secretary, U.P. Public Service Commission for granting notional promotion on the post of ARTO to the certain officers of the department, who was working on the post of Passenger/Goods Tax Officer, therefore, in light of such facts mentioned hereinabove, there is no legal impediment in granting the notional seniority and consequential benefit of promotion to petitioners also.

23 In light of facts of the case specially, recommendation of three members committee dated 2.2.2023 and clarification of Transport Commissioner dated 21.7.2023 it is apparently clear that in granting notional seniority to petitioners, there is no legal impediment except the Government Order dated 21 8 2015, which provides that candidate of unreserved category shall not claim any additional emoluments or personal pay on the ground of their seniority, otherwise petitioners are fully entitled for notional seniority for selection year 2007-08 & 2008-09 at serial No. 196 & 197 in seniority list.

24. Now coming to the present case, there is undertaking of the petitioners before this Court that they will not claim any additional emoluments or special pay in terms of Government Order dated 21.8.2015 and further in light of facts that serial No. 196 to 200 are sill vacant in seniority list and in granting the aforesaid seniority, seniority of none other personnel would be affected, therefore, petitioners are fully entitled for notional seniority and denial of that by the impugned order is absolutely bad and liable to be set aside.

25. Therefore, under such facts and circumstances of the case, the impugned order dated 21.11.2023 is hereby set aside and writ petition is allowed. No order as to costs.

26. Respondents are directed to grant notional seniority to petitioners placing them at Serial Nos. 196 & 197 in seniority list alongwith all consequential benefits. It is further directed that after fixation of notional seniority, if promotion is due on next higher post, process of promotion shall also be completed.

27. The aforesaid exercise shall completed maximum within a period of two months from the date of production of certified copy of this order.

28. It is made clear that petitioners shall not claim any additional emoluments or special pay as provided in Government Order dated 21.8.2015 after grant of notional seniority.

6- याची श्री विनय कुमार सिंह द्वारा अपने प्रत्यावेदन दिनांक 08.05.2025 के माध्यम सेमा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा रिट याचिका सं० 21727/2023 बिनय कुमार सिंह व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित उक्त आदेश के समादर में याचीगणों की वरिष्ठता क्रमांक-196 एवं 197 निर्धारित निर्धारित करने के साथ परिणामी ज्येष्ठता प्रदान करते हुए संभागीय परिवहन अधिकारी के पद पर पदोन्नति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया, जिसके संबंध में शासन के पत्र सख्या 1/1070196/तीस-3-2025 (ई-1744147) दिनांक 27 अगस्त 2025 के माध्यम से परिवहन आयुक्त, उ०प्र० को यथोचित आख्या/प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।

7- परिवहन आयुक्त, उ०प्र० के पत्र दिनांक 11 सितम्बर, 2025 के माध्यम से इस सम्बन्ध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया, जिसके माध्यम से श्री बिनय कुमार सिंह एवं श्री सत्येन्द्र प्रकाश सिंह को दिनांक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

31.12.2008 से सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के पद पर उनकी वास्तविक पदोन्नति की तिथि क्रमशः 21.11.2012 तथा 18.04.2013 तक नोशनल पदोन्नति कराये जाने की कार्यवाही पूर्ण कराये जाने के उपरात ही नियमानुसार याचीगणों की ज्येष्ठता क्रमांक 196 व 197 पर नोशनल रूप से निर्धारित कराये जाने के सम्बन्ध में शासन स्तर पर यथोचित निर्णय लिये जाने का अनुरोध किया गया।

8- अतः सम्यक विचारोपरान्त शासन के कार्यालय जाप संख्या-1482/30-3-14-73 जीडब्लू / 1990, दिनाक 05.06.2014 द्वारा सीधी भर्ती/पदोन्नति से नियुक्त सहायक संभागीय परिवहन अधिकारियों की निर्गत ज्येष्ठता सूची में याचीगण की ज्येष्ठता निम्नानुसार निर्धारित की जाती है

क्र0	दिनांक 05.06.2014 की ज्येष्ठता सूची का पूर्व क्रमांक	ज्येष्ठता सूची में प्रतिस्थापित क्रमांक	नाम
1	227	196	श्री बिनय कुमार सिंह
2	229	197	श्री सत्येन्द्र प्रकाश सिंह

9- शासन के कार्यालय ज्ञाप सख्या-1482/30-3-14-73 जीडब्लू/1990, दिनांक 05.06. 2014 द्वारा सीधी भर्ती/पदोन्नति से नियुक्त सहायक की निर्गत ज्येष्ठता सूची उक्त सीमा तक संशोधित समझी जाय। संभागीय परिवहन अधिकारियों

ह0/-
(के0पी0सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-128/2025/279// तीस-3-2025, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1-परिवहन आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ।
2-अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन), उ०प्र०, लखनऊ।
3- संबंधित अधिकारी।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(नितिन कुमार गुप्त)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।